कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) दिल्ली

होली के अवसर पर
"रंगोत्सव" संगीत संध्या

निमंत्रण पत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार आप सभी को सादर सूचित किया जाता है कि आगामी होली पर्व 'रंगोत्सव 2026' के शुभ अवसर पर दिनांक 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को सायं 4.15 बजे से सभागार कक्ष संख्या 135, प्रथम तल, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति व कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के आपसी समन्वय से "रंगोत्सव" संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुप्रसिद्ध गायिका व उनके संगीत समूह को प्रस्तुति हेतु आमंत्रित किया गया है। आप सभी इस समारोह में सादर आमंत्रित हैं।

आप सभी से अनुरोध है कि "रंगोत्सव" संगीत संध्या में निर्धारित समय पर सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ।

(मुकेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), केन्द्रीय जिला,
जिला न्यायालय दिल्ली।

संख्या 15526–16726 /हिन्दी/रंगोत्सव/238/2026 दिल्ली, दिनांक 20 FEB 2026

निमंत्रण पत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है-

1. विद्वान महा निबंधक (रजिस्ट्रार जनरल), सम्माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2. समस्त माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, शाहदरा, उत्तर-पश्चिम, उत्तर, राउज एवेन्यू, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली(आपसे सादर अनुरोध है कि आप इस परिपत्र को अपने संबद्ध न्यायिक जिले में परिचालित करवाने का कष्ट करें)।
3. पि. प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) (मुख्यालय), नई दिल्ली एवं समस्त न्यायिक जिलों के विद्वान प्रधान न्यायाधीश, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. माननीय विद्वान कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली न्यायिक अकादमी, द्वारका दिल्ली।
5. माननीय विद्वान प्रधान सचिव, कानून, न्याय एवं विधि कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. माननीय सदस्य सचिव, केन्द्रीय कार्यालय, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, नई दिल्ली।
7. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारी (समस्त जिले), केन्द्रीय, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, शाहदरा, उत्तर-पश्चिम, उत्तर, राउज एवेन्यू, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली ।
8. दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा व दिल्ली न्यायिक सेवा के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अन्य कार्यालयों/विभागों में तैनात हैं।
9. विद्वान प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10. विद्वान नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली (समस्त जिले दिल्ली/नई दिल्ली)।
11. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी और कर्मचारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग (समस्त जिले) केन्द्रीय, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, शाहदरा, उत्तर-पश्चिम, उत्तर, राउज एवेन्यू, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली (इस निर्देश सहित कि कार्यक्रम में निर्धारित समय से पूर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित रहें)।
12. समस्त न्यायिक जिलों में कार्यरत (यदि0) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), अनुभाग प्रभारी व कर्मचारीगण (संबद्ध विद्वान न्यायिक अधिकारी/पीठासीन अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी के माध्यम से)।
13. विशेष कार्य अधिकारी, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, 7वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
14. सचिव, उर्दू अकादमी, सीपीओ बिल्डिंग, निकट रिट्ज़ सिनेमा, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली-06।
15. अनुभाग प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को इस निर्देश सहित की उपर्युक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें की इस आयोजन में कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न न हो और इस-आयोजन की सूचना सभी संबंधित को एसएमएस व अन्य उपलब्ध माध्यमों से निर्धारित तारीख से पहले पहुंचाएं तथा इस परिपत्र को भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा उपर्युक्त सर्वसंबंधित को भेजा जाए।
16. देखरेख अधिकारी, देखरेख शाखा, केन्द्रीय व जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (इस निर्देश सहित कि इस आयोजन की सफलता हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करें)
17. निजी कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।

नोट- अनुभाग प्रभारी, आरएचआई, उक्त आमंत्रण पत्र की प्रतिलिपि व ई-मेल प्रति दोनो माध्यमों से प्रेषित की जाए।

अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक), केन्द्रीय जिला,

संख्या 9449-9579 रा.भा.अनुभाग हिन्दी/उ०/उ-प/रोहिणी/2026 दिल्ली, दिनांक 23/12/2026

संलग्न परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है -

1. विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
2. विद्वत प्रधान परिवार न्यायालय, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. सभी अनुभागें के विद्वत प्रभारी न्यायाधीश, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5. विद्वत प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केन्द्र, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
6. वि. सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
7. निजी सचिव, विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
8. प्रशासनिक अधिकारी, सभी अनुभाग प्रभारी, व जिले में कार्यरत सभी कर्मचारीगण (संबंध विद्वत न्यायिक अधिकारी/ पीठासीन अधिकारी/ नियंत्रक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी के माध्यम से)
9. वेबसाइट समिति, जिला उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

नोडल अधिकारी, राजभाषा अनुभाग, जिला उत्तर,
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

नोडल अधिकारी, राजभाषा अनुभाग, जिला उत्तर-पश्चिम,
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली